2024/27

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 39 / 2024
दायर दिनांक :— 11.03.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 37
निर्णय दिनांक :— 17.06.2025

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रभुराम पुत्र चुनाराम
जाति जाट निवासी कलाथल
तहसील घंटियाली जिला फलोदी

01. अर्जुनराम पुत्र मगनाराम
02. चूनाराम पुत्र मगनाराम
03. भाखरराम पुत्र मगनाराम
04. हरलाल पुत्र काछबाराम
    फौत के कायम मुकाम
4/1 हड़मानराम पुत्र हरलाल
4/2 नथाराम पुत्र हरलाल
4/3 हरिराम पुत्र हरलाल
4/4 मोहनी पत्नि हरलाल
    सर्वजाति विश्नोई
    नि. हनुमाननगर, भोजासर
    तहसील आऊ जिला फलोदी
05. पदमाराम पुत्र किसनाराम
06. मगीदेवी पत्नि किसनाराम
07. श्रवणकुमार पुत्र किसनाराम
    सर्वजाति जाट नि. कलाथल
08. प्रकाश पुत्र पांचाराम
    नाबालिग संरक्षक कु. वली
    माता समदी पत्नि पांचाराम
09. पांचाराम पुत्र बीरूराम
10. भीखाराम पुत्र पांचाराम
11. रामस्वरूप पुत्र पांचाराम
12. श्रवण पुत्र पांचाराम
13. सुनिल पुत्र पांचाराम
    सर्वजाति जाट नि. पाबुपुरा
14. अखाराम पुत्र खेताराम
15. नेनूराम पुत्र हेमारा
16. पाबुराम पुत्र खेताराम
    मनोहरराम पुत्र खेताराम
    जाति जाट
    निवासी ढाढरवाला
17. जगदीशराम पुत्र चुनाराम
    जाति जाट नि. कलाथल
    तह. घंटियाली जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

18. श्रीमान तहसीलदार, घंटियाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता 8 ता 13
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 487/183 रकबा 2.8166 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू-नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त खसरान् के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 09.06.2023 को जारी आदेश क्रमांक/भू0अ0/2023/263 की पालना मे दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर पंहुच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थी खातेदारान् के पड़ौसी खातेदारान् व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरा की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ौसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नही कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 18 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 13 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 487/183 रकबा 2.8166 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार अपनी हद मे पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाते।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 ता 13 ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जावे क्योंकि उक्त वादग्रस्त भूमि का माप हस्तगत प्रकरण मे मौके पर जाकर किया नहीं है इसलिये प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यो पर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने के आदेश फरमाते।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रैस एवं मौका फर्द, अप्रार्थी संख्या 8 ता 13 के जवाब एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 487/183 रकबा 2.8166 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि की पैमाईश दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 487/183 रकबा 2.8166 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थर गड्ढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/6/25

(सुखराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)